न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 5/2022. (Bank Case)

"आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड" (पूर्व नाम–हाउसिंग फाईनेन्स लि0) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय–201–202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020 (राजस्थान)

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री घनश्याम दास, पता गुर्जर बस्ती, कवाई सालपुरा जिला बारां दूसरा पता प्लॉट नं. 93 खसरा नं. 1305, जय अम्बे नगर, विपेज कवाई तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान– 325219 **(ऋणी– बंधककर्ता)**
2. श्रीमति संजू बाई पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार, पता– गुर्जर बस्ती, कवाई सालपुरा जिला बारां राजस्थान–325219 **(सह–ऋणी)**
3. श्री मुकेश कुमार बैष्णव पुत्र श्री घनश्याम वैष्णव पता– गुर्जर बस्ती, कवाई सालपुरा जिला बारां राजस्थान–325219 **(जमानती)**

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

आदेश

दिनांकः 21/3/2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड" (पूर्व नाम–हाउसिंग फाईनेन्स लि0) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय–201–202, द्वितीय तल साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020 (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 19 जून 2018 को 6,50,,000/– रूपये (अक्षरे छः लाख पचास हजार रूपये) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री घनश्याम दास की आवासीय सम्पत्ति प्लांट नं. 93, खसरा नम्बर–1305, जय अम्बे नगर, विपेज कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां जिसका कुल क्षेत्रफल 880 वर्गफीट है चतुर्थ सीमा– पूर्व में रास्ता 20 फुट , पश्चिम में अन्य आराजी, उत्तर में प्ला[illegible] , दक्षिण में अन्य आराजी है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में [illegible] किया गया [illegible]। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान [illegible] के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी [illegible] खाते को दिनांक 30.11[illegible] को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे [illegible],769 /– (अक्षरे सात [illegible] बारह हजार सात सौ उनहतर रूपये) बकाया राशि दिनांक 06.12.2019 तक शेष देय है व दिनांक 07.12.2019 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 06.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति

जिला मजिस्ट्रेट बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:37 IST
Reason: SelfAttested

के बावजूद बन्धककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 06.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति" में दिनांक 07.12.2019 व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 07.12.2019 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 06.12.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री घनश्याम दास की आवासीय सम्पत्ति प्लांट नं. 93, खसरा नम्बर–1305, जय अम्बे नगर, विपेज कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां जिसका कुल क्षेत्रफल 880 वर्गफीट है चतुर्थ सीमा– पूर्व में रास्ता 20 फुट , पश्चिम में अन्य आराजी, उत्तर में प्लांट नं. 92 , दक्षिण में अन्य आराजी है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 21/3/2022 को सुनाया गया ।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:37 IST
Reason: SelfAttested